कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

मिसल संख्या – 184/2021 निर्णय दिनांक :– 21/3/2022

<u>उनवानी प्रार्थना पत्रः–</u>

1. धन्नी देवी पत्नी मिश्रीलाल जाति निवासी बालून्दा तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थी पक्ष–

बनाम

तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी पक्ष–

<u>प्रार्थना–पत्र पत्थगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार **खाता संख्या 104 ख0नं0 113 रकबा 0.78 है0** वाके ग्राम बालून्दा तहसील दूनी जिला टोंक प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है व पडोसी खातेदारों से विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नही है।

अतः जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में अंकित **खाता संख्या 104 ख0नं0 113 रकबा 0.78 है0** वाके ग्राम बालून्दा की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार दूनी को मौका कमिश्नर बनाया जाता है और मौका कमिश्नर फीस 1000/– निर्धारित की जाकर एतत्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है

(हस्ताक्षर)

(भारत भूषण गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
देवली